

अनुदान संख्या 33 - वित्तीय सेवा विभाग
GRANT No. 33-DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	59,98,00		
पूरक	Supplementary	17,41,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	77,39,00	64,57,75	-12,81,25
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	2,00	..	-2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (1281.25 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 1741.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 74 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1281.25 lakhs) constituted 74 percent of the supplementary grants of Rs.1741.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 17 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"			
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services			
मू.	O.	800.00		
पू.	S.	492.00		
पु.	R.	65.42		
		1357.42	1005.84	-351.58

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2047"	Major Head "2047"			
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services			
मू.	O.	519.00	730.70	691.39
पू.	S.	286.00		
पु.	R.	-74.30		
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"			
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services			
मू.	O.	4546.00	5286.29	4680.87
पू.	S.	963.00		
पु.	R.	-222.71		

(I) 51.02 लाख रु. का प्रावधान पाँच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.51.02 lakhs remained wholly unutilised under five heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2070" - "Other Expenditure" - remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(का) "औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड" - 795.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 75.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 870.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 103.55 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) बोर्ड द्वारा अधिकृत परिसर के नए पट्टा करार को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) "Board for Industrial and Financial Reconstruction" - the original provision of Rs.795.00 lakhs was augmented to Rs.870.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.75.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.103.55 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of new lease agreement of the premises occupied by Board and economy measures.

(खा) "अपीलीय औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण" - 218.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 62.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 280.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 80.59 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(B) "Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction" - the original provision of Rs.218.00 lakhs was augmented to Rs.280.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.62.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.80.59 lakhs (including supplementary grant); and

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय-वित्तीय सेवा विभाग" - 800.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 492.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1292.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि जो 286.16 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(खा) मुख्य शीर्ष "2047" - "अन्य व्यय - विशेष अदालतों का कार्यान्वयन (प्रतिभूतियों के लेनदेन से संबंधित अपराधों पर मुकदमा) अधिनियम, 1992" - 519.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 286.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 805.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो विशेष अदालत द्वारा अधिकृत आवास के नए पट्टा करार को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 113.61 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य व्यय - ऋण वसूली अधिकरण" - 2903.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 826.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3729.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 463.99 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(IV) मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य व्यय - पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान" के अंतर्गत 180.00 लाख रु. की बचत (630.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 2.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4059" - "लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय" के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2052" - "Secretariat-Department of Financial Services" - the original provision of Rs.800.00 lakhs was augmented to Rs.1292.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.492.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.286.16 lakhs.

Savings under the above two heads were due to economy measures.

(B) Major Head "2047" - "Other Expenditure-Implementation of Special Courts (Trial of offences relating to Transaction in Securities) Act, 1992"- the original provision of Rs.519.00 lakhs was augmented to Rs.805.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.286.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.113.61 lakhs - due to non-finalisation of new lease agreement of accommodation occupied by special court and economy measures.

(C) Major Head "2070" - "Other Expenditure - Debt Recovery Tribunals" - the original provision of Rs.2903.00 lakhs was augmented to Rs.3729.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.826.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.463.99 lakhs; and

(IV) Under Major Head "2070" - "Other Expenditure - Grants-in-aid to Pension Fund Regulatory and Development Authority" - saving of Rs.180.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.630.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to economy measures.

2. In the capital section of the grant, provision of Rs.2.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "4059" - "Capital Outlay on Public Works".